



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-668/RJ/22/2022-SSW (RU-II)

दिनांक: 16/04/2026

सेवा मे,

श्री गुरजीत सिंह दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड

राजदूत होटल के पास

एचपीएल स्टाफ कॉलोनी, जंगपुरा ए

नई दिल्ली - 110014 (दिल्ली)

ई मेल: hplcmd@gmail.com

विषय: अनुसूचित जनजाति के सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ अत्याचार - श्री किशन लाल शोलिया, (वरिष्ठ लिपिक, सेवानिवृत्त आईबीएम नं. 9710), ग्राम व पोस्ट-झेरली, वाया-पिलानी, जिला-झुन्झुनू (राजस्थान) का दिनांक 23.09.2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ NCST Letter dated 27.03.2025

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है

2. डॉ आशा लकडा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **22.04.2026 को 15:20 Hrs** बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है
3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा

भवदीय

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)

निदेशक /Director

E.mail: ru4-hq@ncst.nic.in

Ph. No. 011-24645826

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

Shri Kishan Lal Sholia,
Village and PO Airport-Jerli, Via-Pilani,
District-Jhunjhunu-333031
(Rajasthan)
(Mobile No. 9354114227)

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading